

कार्यालय नगर परिषद् मेंहगाँव जिला भिण्ड (म.प्र.)

Email: - cmomehgaon@mpurban.gov.in

क्रमांक / 2026 / 503

महगाव, दिनांक 06 / 05 / 2026

// प्रथम ई-निविदा सूचना //

नगर परिषद् मेंहगाँव में स्वच्छता कार्य हेतु (सडक सफाई, नाली-नाला सफाई, स्वच्छता वाहन चालक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर) श्रमिक/लेबर इत्यादि मेनपावर की सेवायें हेतु पंजीकृत एजेंसी से ई-निविदा क्रं/ **2026_UAD_506003_1** आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत राशि रुपये 20,00,000/- तथा निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 5000/- एवं ई.एम.डी. 15000/- निर्धारित है। निविदा दिनांक. 06/05/2026 से दिनांक 13/06/2026 सांय 18:00 बजे तक ऑन लाइन प्रस्तुत की जा सकेंगी। निविदा में किये गया कोई भी संशोधन उक्त बेवसाइट पर ही किया जावेगा। पृथक से कोई भी प्रकाशन नहीं किया जावेगा। अतः सम्बन्धित जानकारी उक्त बेवसाइट पर देखी जावे, निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में सम्बन्धित शाखा में देखी जा सकती हैं। उपरोक्त निविदा सूचना विभाग की बेवसाइट www.mpeters.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की समयवधि	कार्य की अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
01	कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक हल्के एवं भारी, सफाई कार्य मित्र श्रमिक/लेबर इत्यादि मेनपावर की सेवायें प्रदान करना।	02 वर्ष	20,00,000/-	15000/-	5000/-

शर्तः-

- ऑनलाइन पोर्टल से निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 13/06/2026 समय सांय 06:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदाकार को ऑनलाइन विड सबमिट करनी होगी व समस्त प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन ही निविदा प्रपत्र शुल्क की प्रति, निर्धारित धरोहर राशि की FDR सक्षम श्रेणी में पंजीयन, टिन नम्बर, पेन नम्बर की फोटो प्रति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज फायनैषियल विड ऑनलाइन दिनांक 13/06/2026 समय सांय 06:00 समय सांय 06:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त दरें कार्यादेश से दो वर्ष के लिए मान्य रहेगी।
- कार्य देयकों से शासन नियमानुसार निर्धारित कटौती किये जावेगें।
- निविदाकार किसी भी राज्य से ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। फर्म को रु 100.00 के नॉन जूडिषियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित करना होगा।
- नियमानुसार किसी भी फर्म/कंपनी आदि की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात फर्म/कंपनी आदि को रुपये 9000.00 रुपये के नॉन जूडिषियल स्टाम्प पेपर पर 03 दिवस में अनुबंध करना होगा।
- निविदाकार को जीवित पंजीयन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि फर्म/संस्था साझेदारी से संचालित है, तो पार्टनरशिप डीडी की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि कार्य निर्बाधरूप से हो। किसी भी तरह के विलंब अथवा रूकावट के लिए उसके भुगतान से 50 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकेगी। जहाँ निविदाकार ने जानबूझकर कोई गडबडी की वहाँ कार्य की राशि एवं प्रतिभूति की राशि दोनों राजसात की जा सकेगी।
- उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
- उपरोक्त वर्णित कण्डिकाएँ अनुबंध का हिस्सा होगी। अन्य जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।
- निविदाकार द्वारा शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय/ संस्था में अर्द्धकुशल एवं अकुशल मेनपावर की सेवाएं प्रदान करने का गत 05 वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदाकार का गत 05 वित्त वर्ष का अवधि में मेनपावर सप्लाई का वार्षिक टर्नओवर निविदा राशि का 50% प्रतिवर्ष होना अनिवार्य होगा तथा वार्षिक टर्नओवर हेतु सी.ए. से प्रमाणित ऑडिट बैलेंस शीट एवं प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदाकार को जी.एस.टी. का पंजीयन एवं गत 05 वित्त वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रतियां संलग्न करना होगा।
- मेनपावर प्रदान करने का श्रम विभाग से प्राप्त लेबर लाईसेन्स संलग्न करना होगा।

15. निविदाकार को गत 05 वर्षों में किसी फर्म/संस्था के ब्लैक लिस्टेड न होने, फर्म के विरुद्ध वर्तमान में कोई न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित होने तथा निविदा में प्रस्तुत सम्पूर्ण जानकारी सत्य एवं सही प्रस्तुत करने संबंधी नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र (जो कि एक माह से अधिक पुराना न हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. निविदा की प्रस्तुत दरें समान होने की स्थिति में गत 05 वर्ष की अवधि के औसत टर्न ओवर के आधार पर, जिस निविदाकार का औसत टर्न ओवर अधिक होगा, उस निविदाकार को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
17. निविदाकार द्वारा दर अनुसूची में अपना सर्विस चार्ज, जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय पर सभी श्रेणी के लिए एक समान तथा प्रतिषत में भरा जाना अनिवार्य होगा।
18. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/एजेन्सी को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालयों में सेवाएं प्रदान करने संबंधी 05 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
19. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/एजेन्सी का आयकर पंजीयन, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा जी.एस.टी. के अंतिम कर भुगतान की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. निविदाकार का गत 05 वित्त वर्ष का अवधि में मेनपावर सप्लाई करने के EPF एवं ESIC जमा चालान की प्रति प्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज अनुसार मान्य की जावेगी।
22. कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु सीपीसीटी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
23. निविदा में किये गया कोई भी संशोधन उक्त बेवसाइट पर ही किया जावेगा। पृथक से कोई भी प्रकाशन नहीं किया जावेगा। अतः सम्बंधित जानकारी उक्त बेवसाइट पर देखी जावे, निविदा से सम्बंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में सम्बंधित शाखा में देखी जा सकती हैं। उपरोक्त निविदा सूचना विभाग की बेवसाइट www.mpetenders.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् मेंहगाँव जिला भिण्ड

कार्यालय नगर परिषद् मेंहगाँव जिला भिण्ड (म.प्र.)

//निविदा की शर्तें//

1. नगर परिषद् मेंहगाँव में स्वच्छता कार्य हेतु अर्द्धकुशल एवं अकुशल (स्वच्छता कार्य हेतु सडक सफाई, नाली-नाला सफाई, स्वच्छता वाहन चालक कार्य हेतु श्रमिक/लेबर इत्यादि) हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त करने हेतु निविदा की दरें कार्यादेश जारी होने के दिनांक से आगामी 02 (दो) वर्ष तक के लिए प्रभावशील होगी ।
2. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा से संबंधित शर्तों का भली-भांति अध्ययन कर लें ।
3. निविदा फार्म के भाग-“ए” में निविदाकार को तकनीकी निविदा शर्तों अनुसार वांछित जानकारी दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना आवश्यक है। निविदा भाग- “बी” में दरें प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
4. फर्म/संस्था का वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का टर्न ओवर सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट अनुसार निविदा राशि का 50% प्रतिवर्ष होना अनिवार्य होगा ।
5. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/एजेन्सी को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालयों में सेवाएं प्रदान करने संबंधी 05 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा ।
6. दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से स्वच्छता कार्य हेतु अर्द्धकुशल एवं अकुशल (स्वच्छता कार्य हेतु सडक सफाई, नाली-नाला सफाई, स्वच्छता वाहन चालन कार्य हेतु श्रमिक/लेबर इत्यादि) उपलब्ध कराने वाली फर्म/एजेन्सी निविदाएं प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, राज्य कर्मचारी बीमा निगम एवं गुमाश्ता लाइसेंस के अधीन नियमानुसार पंजीकृत हो ।
7. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर उपलब्ध कराये जाने वाले (अर्द्ध कुशल), चौकीदार, श्रमिक/लेबर (अकुशल) के ईपीएफ/ईएसआई का भुगतान करना होगा। अनुबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले देयकों श्रमिक/लेबर के ईपीएफ/ईएसआई एवं तत्समय प्रचलित समस्त करों संबंधी नियमानुसार दर्शाई गई राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।
8. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/एजेन्सी का आयकर पंजीयन, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा जी.एस.टी. के अंतिम कर भुगतान की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
9. निविदा की प्रतिभूति राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी राशि रुपये 60,000/- (रुपये साठ हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् मेंहगाँव जिला भिण्ड के नाम से जमा कराई जाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
10. निविदाकार द्वारा सभी कर्मचारियों का प्रतिमाह भविष्यनिधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान का कटौत करना तथा देयक के साथ संलग्न प्रपत्र “सी” में जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
11. फर्म/संस्था के ब्लैक लिस्टेड न होने, फर्म के विरुद्ध वर्तमान में कोई न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित होने तथा निविदा में प्रस्तुत सम्पूर्ण जानकारी सत्य एवं सही प्रस्तुत करने संबंधी नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र (जो कि एक माह से अधिक पुराना न हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
12. दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर आउट सोर्सिंग पर श्रमिक (अर्द्धकुशल) चौकीदार, श्रमिक/लेबर (अकुशल) उपलब्ध कराने हेतु संबंधित फर्म/एजेन्सी की दरें निविदा स्वीकृत होने के 15 दिवस के भीतर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् मेंहगाँव जिला भिण्ड से अनुबंध करना अनिवार्य होगा, जो नियमानुसार निष्पादित किया जावेगा। अनुबंध के पूर्व फर्म/एजेन्सी को श्रमिकों का (अर्द्ध कुशल) चौकीदार, श्रमिक/लेबर (अकुशल) का प्रोवीडेन्ट फण्ड अकाउन्ट नम्बर प्रस्तुत करना होगा ।
13. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकार फर्म/संस्था द्वारा निष्पादन प्रतिभूति मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् मेंहगाँव जिला भिण्ड के नाम से कार्यादेश जारी होने के दिनांक से 10 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा ।

14. संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा श्रमिक (अर्द्धकुशल) चौकीदार, श्रमिक/लेबर (अकुशल) को प्रत्येक माह कलेक्टर दर पर दैनिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। जिसके लिए राशि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। समय-समय पर श्रम विभाग/कलेक्टर द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी की दरों का पालन संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
15. संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर उपलब्ध कराये गये श्रमिकों (अर्द्धकुशल) के पास कॉमर्शियल वाहन चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा तथा वाहन चालक की चालन क्षमता, अच्छे चाल-चलन इत्यादि की जिम्मेदारी फर्म/संस्था की होगी। वाहन चालक आपराधिक प्रवृत्ति/चरित्र का न हो। चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र आदि की सत्यता प्रमाणित की जायेगी। फर्म को उपलब्ध वाहन चालक का वेरीफिकेशन पुलिस के माध्यम से कराना होगा।
16. संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर उपलब्ध कराये गये श्रमिक (अर्द्धकुशल) चौकीदार, श्रमिक/लेबर (अकुशल) को विभाग में अन्य किसी भी सुविधा एवं भत्ते की पात्रता नहीं होगी, और न ही विभाग में भविष्य में नियमित अथवा स्थाई नियुक्ति का अधिकार होगा।
17. फर्म संस्था द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर उपलब्ध कराये गये श्रमिक (अर्द्धकुशल) चौकीदार, श्रमिक/लेबर (अकुशल) के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व प्रदाता फर्म/एजेंसी का होगा। कार्य के दौरान यदि कोई अप्रिय घटना/मृत्यु/दुर्घटना/वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेनपावर प्रदाता फर्म/एजेंसी की होगी। निकाय किसी भी अप्रिय घटना के लिए जवाबदेही नहीं होगी।
18. सफल निविदाकार को निर्धारित शर्तों के अधीन दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर श्रमिक, चौकीदार, श्रमिक/लेबर (अकुशल) उपलब्ध कराना होगा। यदि निविदाकार अनुबंध निष्पादित करने अथवा दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर वाहन चालक (अर्द्ध कुशल) चौकीदार, श्रमिक/लेबर (अकुशल) उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो निविदाकार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि शासन के पक्ष में राजसात की जायेगी।
19. मेनपावर प्रदाता (अर्द्ध कुशल), चौकीदार, श्रमिक/लेबर (अकुशल) (दैनिक वेतन) एवं सेवा प्रदाता फर्म की कार्य हेतु उपयुक्त सेवा की गुणवत्ता के आधार तथा दोनों पक्षों की सहमति से अनुमोदित न्यूनतम दर एवं शर्तों पर अनुबंध की अवधि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मेंहगांव जिला भिण्ड द्वारा विशेष आवश्यकतानुसार 02 (दो) वर्ष की अवधि हेतु कलेक्टर महोदय से अनुमोदन उपरांत बढ़ाई जा सकेगी।
20. अनुबंध अवधि में कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी। यदि उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त ऑफर में अन्य शर्त दी जाती है तो निविदा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मालनपूर जिला भिण्ड को मान्य नहीं होगी।
21. देयक से नियमानुसार समय-समय पर प्रचलित आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती की जायेगी। इस हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म को अपना पैन नम्बर, बैंक अकाउन्ट नम्बर देना अनिवार्य होगा, जिसका उल्लेख फर्म/एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत देयकों पर होना अनिवार्य है। इसी आधार पर संबंधित फर्म को टी.डी.एस. प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मेंहगांव जिला भिण्ड को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उनके द्वारा पारित निर्णय उभयपक्षों को मान्य होगा।
23. निविदाकार द्वारा से निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत की जावेगी, जिनका विवरण एवं आशय निम्नानुसार है। ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेज Finally Bid खोली जायेगी।
24. निविदाकार का कार्यालय मेंहगांव शहर में होना अनिवार्य है। यदि कार्यालय मेंहगांव क्षेत्र में नहीं है, तो अपना कार्यालय मेंहगांव नगर परिषद क्षेत्र में कार्यादेश प्राप्त करने के पश्चात 15 दिन में स्थापित कर विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा।
25. निविदाकार को स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को समन्वय हेतु कार्यालय में हमेशा उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा तथा कार्यालय में व्यवस्था हेतु अधिकृत संबंधित अधिकारियों से अवकाश के दिनों को छोड़कर संपर्क रखने हेतु कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। एवं जब भी अधिकारियों के द्वारा

- बुलाये जाने पर निकाय कार्यालय/कार्यस्थल पर उपस्थित होना होगा। जिसका वेतन निविदाकार द्वारा ही देय होगा। उक्त व्यवस्था कार्यादेश के 1 सप्ताह की समय-सीमा में होना अनिवार्य होगा। ऐसा न किये जाने पर निविदाकार पर 500 रुपये प्रति दिन की पेनाल्टी लगाई जा सकेगी।
26. निविदाकार को कर्मचारियों की प्रतिमाह उपस्थिति पंजी संधारित करना होगा ताकि पंजी में प्रतिदिन उपस्थित कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कि जाएगी एवं सप्ताहिक रूप से शाखा के प्रभारी अधिकारी/उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को उपस्थिति पंजी का अवलोकन कराया जाना तथा कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा।
 27. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारियों की उम्र 21 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उम्र की गणना 01 जनवरी 2024 से की जावेगी। अर्थात् 01 जनवरी 2024 को कर्मचारी की उम्र 21 वर्ष से कम एवं 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 28. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को वेतन का भुगतान माह की 07 तारीख तक संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य होगा।
 29. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त कर्मचारियों द्वारा कार्यालय की गोपनीयता को बनाये रखना होगा, गोपनीयता भंग किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
 30. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त कर्मचारियों को कम्पनी का परिचय पत्र दिया जाना होगा जिसे कर्मचारी को कार्यालयीन समय में अपने पास रखा जाना आवश्यक होगा।
 31. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारी को संबंधित अधिकारी की अनुमति के बिना बार-बार बदला नहीं जायेगा। ऐसा करने पर निविदाकार से प्रति व्यक्ति 500 रु पेनाल्टी वसूली जा सकेगी।
 32. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त कर्मचारी ड्यूटी समय पर कार्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफार्म में होना अनिवार्य है। निर्धारित यूनिफार्म निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा। कर्मचारी के निर्धारित यूनिफार्म में नहीं होने पर, निविदाकार से 500 रु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेनाल्टी वसूल की जावेगी।
 33. कार्यालय में मेनपावर की आवश्यकता होने पर निविदाकार को 24 घण्टों में संबंधित मेनपावर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, ऐसा नहीं किए जाने पर 500 रु प्रतिदिन पेनाल्टी वसूली जा सकेगी।
 34. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जायेगा। मादक पदार्थों का उपयोग करते पाए जाने पर उस व्यक्ति के वेतन से 500 रु. पेनाल्टी के रूप में कटौती की जाएगी तथा इतनी ही राशि पेनाल्टी के रूप में निविदाकार से भी वसूल की जायेगी। ऐसे कर्मचारियों को कार्य से भी तुरंत पृथक करना होगा।
 35. निविदाकार द्वारा संबंधित कार्य हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारी द्वारा विभागीय संपत्ति/सामग्री को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाये जाने पर कर्मचारी द्वारा हुये संपूर्ण नुकसान की भरपायी निविदाकार से वसूली जायेगी। कर्मचारियों के द्वारा विभागीय वाहनों/अन्य को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर उस पर होने वाला व्यय भी निविदाकार से वसूली योग्य होगा।
 36. निविदाकार/संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मचारी द्वारा अवकाश लेने की स्थिति में निविदाकार द्वारा संबंधित व्यक्ति के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने एवं कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रतिदिन की निर्धारित पारिश्रमिक दर की दुगुनी राशि की कटौती देयक से की जायेगी।
 37. निविदाकार/संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे कर्मियों के नाम, पता, पासपोर्ट साईज फोटो, आधारकार्ड, पेनकार्ड तथा अन्य आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेजों की सत्यापित प्रति अभिलेखों का अवलोकन करवाना होगा।
 38. निविदाकार संस्था का कार्य संतोषजनक न पाये जाने एवं तीन से अधिक बार लापरवाही एवं अनियमितता के फलस्वरूप शासित अधिरोपित किए जाने की दशा में संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा एवं आगामी निविदा में भाग लेने हेतु अपात्र घोषित किया जा सकेगा।
 39. निविदाकार संस्था द्वारा अनुबंध अवधि तक कार्य किया जाना आवश्यक होगा। यदि बीच में कार्य छोड़ा गया तो नवीन अनुबंध से शासन को होने वाली क्षति की वसूली निविदाकार संस्था से की जाएगी।

40. नगर परिषद मेंहगांव जिला भिण्ड के टिपर एवं अन्य वाहन शासकीय उपयोग हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से वाहन चालक, चौकीदार प्राप्त करने हेतु निविदा की दरें कार्यादेश जारी होने के दिनांक से आगामी 01 (एक) वर्ष तक के लिए प्रभावशील होगी ।
41. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा से संबंधित शर्तों का भली-भांति अध्ययन कर लें ।
42. निविदा फार्म के भाग-“ए” में निविदाकार को तकनीकी निविदा शर्तों अनुसार वांछित जानकारी दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना आवश्यक है। निविदा भाग- “बी” में दरें प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
43. फर्म/संस्था का वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 का टर्न ओवर सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट अनुसार राशि रुपये 5,00,000/- से अधिक होना अनिवार्य होगा ।
44. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/एजेन्सी को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालयों में सेवाएं प्रदान करने संबंधी एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा ।
45. दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से वाहन चालक (अर्द्ध कुशल) एवं चौकीदार (अकुशल) उपलब्ध कराने वाली फर्म/एजेन्सी निविदाएं प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, राज्य कर्मचारी बीमा निगम एवं गुमाश्ता लाइसेंस के अधीन नियमानुसार पंजीकृत हो ।
46. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन चालक (अर्द्ध कुशल), (अकुशल) के ईपीएफ/ईएसआई का भुगतान करना होगा। अनुबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले देयकों में वाहन चालकों के ईपीएफ/ईएसआई एवं तत्समय प्रचलित समस्त करों संबंधी नियमानुसार दर्शाई गई राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।
47. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/एजेन्सी का आयकर पंजीयन, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा जी.एस.टी. के अंतिम कर भुगतान की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
48. निविदा की प्रतिभूति राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मालनपूर जिला भिण्ड के नाम से जमा कराई जाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
49. निविदाकार द्वारा सभी कर्मचारियों का प्रतिमाह भविष्यनिधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान का कटौती करना तथा देयक के साथ संलग्न प्रपत्र “सी” में जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
50. फर्म/संस्था के ब्लैक लिस्टेड न होने, फर्म के विरुद्ध वर्तमान में कोई न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित होने तथा निविदा में प्रस्तुत सम्पूर्ण जानकारी सत्य एवं सही प्रस्तुत करने संबंधी नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र (जो कि एक माह से अधिक पुराना न हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
51. दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर आउट सोर्सिंग पर वाहन चालक (अर्द्धकुशल) चौकीदार (अकुशल)/उपलब्ध कराने हेतु संबंधित फर्म/एजेन्सी की दरें निविदा स्वीकृत होने के 15 दिवस के भीतर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मालनपूर जिला भिण्ड से अनुबंध करना अनिवार्य होगा, जो नियमानुसार निष्पादित किया जावेगा। अनुबंध के पूर्व फर्म/एजेन्सी को वाहन चालक (अर्द्ध कुशल) चौकीदार (अकुशल) का प्रोवीडेन्ट फण्ड अकाउन्ट नम्बर प्रस्तुत करना होगा ।
52. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकार फर्म/संस्था द्वारा निष्पादन प्रतिभूति मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मालनपूर जिला भिण्ड के नाम से कार्यादेश जारी होने के दिनांक से 10 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा ।
53. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा वाहन चालक (अर्द्धकुशल) चौकीदार (अकुशल) को प्रत्येक माह कलेक्टर दर पर दैनिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। जिसके लिए राशि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। समय-समय पर श्रम विभाग/कलेक्टर द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी की दरों का पालन संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा किया जाना अनिवार्य है ।
54. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर उपलब्ध कराये गये वाहन चालक (अर्द्धकुशल) के पास कॉमर्शियल वाहन चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा तथा वाहन चालक की चालन क्षमता, अच्छे चाल-चलन इत्यादि की जिम्मेदारी फर्म/संस्था की होगी। वाहन चालक आपराधिक प्रवृत्ति/चरित्र का न हो। चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र आदि की

सत्यता प्रमाणित की जायेगी। फर्म को उपलब्ध वाहन चालक का वेरीफिकेशन पुलिस अधीक्षक भिण्ड के माध्यम से कराना होगा।

55. संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर उपलब्ध कराये गये वाहन चालक (अर्द्धकुशल) चौकीदार (अकुशल) को विभाग में अन्य किसी भी सुविधा एवं भत्ते की पात्रता नहीं होगी, और न ही विभाग में भविष्य में नियमित अथवा स्थाई नियुक्ति का अधिकार होगा।
56. फर्म संस्था द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर उपलब्ध कराये गये वाहन चालक (अर्द्धकुशल) चौकीदार (अकुशल) के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व प्रदाता फर्म/एजेंसी का होगा। वाहन चालन के दौरान यदि कोई अप्रिय घटना/मृत्यु/दुर्घटना/वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन चालक प्रदाता फर्म/एजेंसी की होगी।
57. सफल निविदाकार को निर्धारित शर्तों के अधीन दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर वाहन चालक चौकीदार (अकुशल) उपलब्ध कराना होगा। यदि निविदाकार अनुबंध निष्पत्ति करने अथवा दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर वाहन चालक (अर्द्ध कुशल) चौकीदार (अकुशल) उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो निविदाकार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि शासन के पक्ष में राजसात की जायेगी।
58. वाहन चालक, चौकीदार (अकुशल) (दैनिक वेतन) एवं सेवा प्रदाता फर्म की कार्य हेतु उपयुक्त सेवा की गुणवत्ता के आधार तथा दोनों पक्षों की सहमति से अनुमोदित न्यूनतम दर एवं शर्तों पर अनुबंध की अवधि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मालनपूर जिला भिण्ड द्वारा आवश्यकतानुसार 01 (एक) वर्ष बढ़ाई जा सकेगी।
59. अनुबंध अवधि में कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी। यदि उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त ऑफर में अन्य शर्त दी जाती है तो निविदा सामान्य प्रशासन विभा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मालनपूर जिला भिण्ड को मान्य नहीं होगी।
60. देयक से नियमानुसार समय-समय पर प्रचलित आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती की जायेगी। इस हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म को अपना पैन नम्बर, बैंक अकाउन्ट नम्बर देना अनिवार्य होगा, जिसका उल्लेख फर्म/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत देयकों पर होना अनिवार्य है। इसी आधार पर संबंधित फर्म को टी.डी.एस. प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
61. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मालनपूर जिला भिण्ड को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उनके द्वारा पारित निर्णय उभयपक्षों को मान्य होगा।
62. निविदाकार द्वारा से निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत की जावेगी, जिनका विवरण एवं आशय निम्नानुसार है। ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेज Finally Bid खोली जायेगी।
63. निविदाकार का कार्यालय मालनपूर शहर में होना अनिवार्य है। यदि कार्यालय मालनपूर शहर में नहीं है तो अपना कार्यालय मालनपूर शहर में कार्यादेश प्राप्त करने के पश्चात 15 दिन में स्थापित कर विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा।
64. निविदाकार को स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को समन्वय हेतु कार्यालय में हमेशा उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा तथा कार्यालय में व्यवस्था हेतु अधिकृत संबंधित अधिकारियों में संपर्क बनाए रखना होगा। जिसका वेतन निविदाकार द्वारा ही देय होगा। उक्त व्यवस्था कार्यादेश के 1 सप्ताह की समय – सीमा में होना अनिवार्य होगा। ऐसा न किये जाने पर निविदाकार पर 500 रूपये प्रति दिन की पेनाल्टी लगाई जा सकेगी।
65. निविदाकार को कर्मचारियों की प्रतिमाह उपस्थिति पंजी संधारित करना होगा ताकि पंजी में प्रतिदिन उपस्थित कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कि जाएगी एवं सप्ताहिक रूप से शाखा के प्रभारी अधिकारी/उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को उपस्थिति पंजी का अवलोकन कराया जाना तथा कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा।
66. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारियों की उम्र 22 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उम्र की गणना 01 जनवरी 2023 से की जावेगी। अर्थात् 01 जनवरी 2023 को कर्मचारी की उम्र 21 वर्ष से कम एवं 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

67. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को वेतन का भुगतान माह की 07 तारीख तक संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य होगा।
68. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त कर्मचारियों द्वारा कार्यालय की गोपनीयता को बनाये रखना होगा, गोपनीयता भंग किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
69. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त कर्मचारी कम्पनी का परिचय पत्र दिया जाना होगा जिसे कर्मचारी को कार्यालयीन समय में अपने पास रखा जाना आवश्यक होगा।
70. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारी को संबंधित अधिकारी की अनुमति के बिना बार-बार बदला नहीं जायेगा। ऐसा करने पर निविदाकार से प्रति व्यक्ति 500 रु पेनाल्टी वसूली जा सकेगी।
71. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त कर्मचारी ड्यूटी समय पर कार्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफार्म में होना अनिवार्य है। निर्धारित यूनिफार्म निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा। कर्मचारी के निर्धारित यूनिफार्म में नहीं होने पर, निविदाकार से 200 रु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेनाल्टी वसूल की जावेगी।
72. कार्यालय में मेनपावर की आवश्यकता होने पर निविदाकार को 24 घण्टें में संबंधित मेनपावर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, ऐसा नहीं किए जाने पर 500 रु प्रतिदिन पेनाल्टी वसूली जा सकेगी।
73. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जायेगा। मादक पदार्थों का उपयोग करते पाए जाने पर उस व्यक्ति के वेतन से 500 रु. पेनाल्टी के रूप में कटौती की जाएगी तथा इतनी ही राशि पेनाल्टी के रूप में निविदाकार से भी वसूल की जायेगी। ऐसे कर्मचारियों को कार्य से भी तुरंत पृथक करना होगा।
74. निविदाकार द्वारा संबंधित कार्य हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारी द्वारा विभागीय संपत्ति/सामग्री को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाये जाने पर कर्मचारी द्वारा हुये संपूर्ण नुकसान की भरपायी निविदाकार से वसूली जायेगी। वाहन चालको द्वारा विभागीय वाहनों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर उस पर होने वाला व्यय भी निविदाकार से वसूली योग्य होगा।
75. निविदाकार/संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मचारी द्वारा अवकाश लेने की स्थिति में निविदाकार द्वारा संबंधित व्यक्ति के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने एवं कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रतिदिन की निर्धारित पारिश्रमिक दर की दुगुनी राशि की कटौती देयक से की जायेगी।
76. निविदाकार/संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे कर्मियों के नाम,पता,पासपोर्ट साईज फोटो, आधारकार्ड , पेनकार्ड तथा अन्य आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेजों की सत्यापित प्रति अभिलेखों का अवलोकन करवाना होगा।
77. निविदाकार संस्था का कार्य संतोषजनक न पाये जाने एवं तीन से अधिक बार लापरवाही एवं अनियमितता के फलस्वरूप शासित अधिरोपित किए जाने की दशा में संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा एवं आगामी निविदा में भाग लेने हेतु अपात्र घोषित किया जा सकेगा।
78. निविदाकार संस्था द्वारा अनुबंध अवधि तक कार्य किया जाना आवश्यक होगा। यदि बीच में कार्य छोड़ा गया तो नवीन अनुबंध से शासन को होने वाली क्षति की वसूली निविदाकार संस्था से की जाएगी।
79. कर्मचारियों के ऑनलाईन उपस्थिति एवं संबंधित शाखा प्रभारी से कार्यप्रमाणीकरण अनुसार ही संबंधित फर्म को भुगतान किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् मेंहगॉव
जिला भिण्ड म0प्र0

आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ लिफाफा में निम्नलिखित दस्तावेज रखेंगे ।

- (अ) प्रतिभूति राशि रु. 37,500/- (रुपये साठ हजार) का बैंक ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक).
- (ब) निम्न दस्तावेज (स्प्रेमाणित प्रतियाँ)
- (1) मेनपावर प्रदान करने का श्रम विभाग से प्राप्त लेबर लाईसेन्स/पंजीयन का प्रमाण-पत्र.
 - (2) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में टर्न ओवर की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट.
 - (3) आयकर पंजीयन, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा जी.एस.टी. के अंतिम कर भुगतान की रसीद.
 - (4) कर्मचारी भविष्य निधि हेतु पंजीयन पत्र.
 - (5) कर्मचारी राज्य बीमा हेतु पंजीयन पत्र.
 - (6) फर्म के ब्लेक लिस्टेड न होने संबंधी नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र.
 - (7) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालयों में सेवाएं प्रदान करने संबंधी एक वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र.
 - (8) घोषणा-पत्र एवं प्रपत्र- "ए" सील एवं हस्ताक्षरयुक्त.

दरों संबंधी प्रपत्र- "बी" सील एवं हस्ताक्षरयुक्त.

कार्यालय नगर परिषद मेंहगाँव जिला भिण्ड (म.प्र.)

वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से स्वच्छता कार्य हेतु अर्द्धकुषल एवं अकुषल (स्वच्छता कार्य हेतु सडक सफाई, नाली-नाला सफाई, स्वच्छता वाहन चालन कार्य हेतु श्रमिक/लेबर इत्यादि) प्राप्त करने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. फर्म/एजेन्सी का नाम
2. फर्म/एजेन्सी का पूर्ण पता
3. दूरभाष नम्बर (कार्यालय) निवास
- मोबाइल नम्बर (फैक्स नम्बर)
- ई-मेल
4. फर्म/एजेन्सी का बैंक खाता क्र.
- बैंक का नाम
- आई.एफ.एस.सी. कोड
5. निविदा के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण :-
 - (i) मेनपावर प्रदान करने का श्रम विभाग से प्राप्त लेबर लाईसेन्स/ संस्था का पंजीयन का प्रमाण-पत्र :
 - (ii) वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में टर्न ओवर की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट :
 - (iii) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा जी.एस.टी. के अंतिम कर भुगतान की रसीद :
 - (iv) कर्मचारी भविष्य निधि हेतु पंजीयन पत्र :
 - (v) कर्मचारी राज्य बीमा हेतु पंजीयन पत्र :
 - (vi) फर्म के ब्लेक लिस्टेड न होने संबंधी :
 - नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र.
 - (vii) अनुभव प्रमाण पत्र :
6. फर्म/एजेन्सी का पेन नम्बर :
- (प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें).
7. निविदा प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक
- दिनांक शाखा का नाम
- राशि (शब्दों में)

हस्ताक्षर
फर्म/एजेन्सी का नाम एवं सील

(प्रपत्र-‘बी’)

कार्यालय नगर परिषद मेंहगाँव जिला भिण्ड (म.प्र.)

वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से स्वच्छता कार्य हेतु अर्द्धकुशल एवं अकुशल (स्वच्छता कार्य हेतु सडक सफाई, नाली-नाला सफाई, स्वच्छता वाहन चालन कार्य हेतु श्रमिक/लेबर इत्यादि) प्राप्त करने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. फर्म/एजेन्सी का नाम
2. फर्म/एजेन्सी का पूर्ण पता
3. दूरभाष नम्बर (कार्यालय) निवास
- मोबाइल नम्बर (फैक्स नम्बर)
- ई-मेल
4. फर्म/एजेन्सी द्वारा निविदा में प्रस्तावित दर-:

क्र	पदनाम	दैनिक वेतन के आधार पर मासिक दर रूपये	ई.पी.एफ की राशि रूपये	ई.एस. आई की राशि रूपये	फर्म का सर्विस चार्ज राशि रूपये	जी.एस.टी. की राशि रूपये	प्रतिमाह कुल राशि सभी कर सहित
1	2	3	4	5	6	7	8
01	दैनिक वेतन कलेक्टर दर पर प्रति चौकीदार, श्रमिक/लेबर (अकुशल)						

हस्ताक्षर
फर्म/एजेन्सी का नाम एवं सील

आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ लिफाफा में निम्नलिखित दस्तावेज रखेंगे ।

- (अ) प्रतिभूति राशि रु. 50000 /- (रुपये पचास हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक).
- (ब) निम्न दस्तावेज (स्वप्रमाणित प्रतियाँ)
- (1) संस्था के नगर निगम में पंजीयन का प्रमाण-पत्र.
 - (2) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में टर्न ओवर की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट.
 - (3) आयकर पंजीयन, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा जी.एस.टी. के अंतिम कर भुगतान की रसीद.
 - (4) कर्मचारी भविष्य निधि हेतु पंजीयन पत्र.
 - (5) कर्मचारी राज्य बीमा हेतु पंजीयन पत्र.
 - (6) फर्म के ब्लेक लिस्टेड न होने संबंधी नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र.
 - (7) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालयों में सेवाएं प्रदान करने संबंधी एक वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र.
 - (8) घोषणा-पत्र एवं प्रपत्र- "ए" सील एवं हस्ताक्षरयुक्त.

दरों संबंधी प्रपत्र- "बी" सील एवं हस्ताक्षरयुक्त.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् मेंहगॉव
जिला भिण्ड म0प्र0

कार्यालय नगर परिषद मेंहगाँव जिला भिण्ड (म.प्र.)

वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 हेतु दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर (कुशल) वाहन चालक (अर्द्ध कुशल) स्वच्छता श्रमिक (अकुशल) प्राप्त करने हेतु निविदा प्रपत्र

1. फर्म/एजेन्सी का नाम
2. फर्म/एजेन्सी का पूर्ण पता
3. दूरभाष नम्बर (कार्यालय) निवास
- मोबाइल नम्बर (फैक्स नम्बर)
- ई-मेल
4. फर्म/एजेन्सी का बैंक खाता क्र.
- बैंक का नाम
- आई.एफ.एस.सी. कोड
5. निविदा के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण :-
 - (i) नगर निगम में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :
 - (ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में :
 - टर्न ओवर की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट.
 - (iii) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा :
 - जी.एस.टी. के अंतिम कर भुगतान की रसीद.
 - (iv) कर्मचारी भविष्य निधि हेतु पंजीयन पत्र :
 - (v) कर्मचारी राज्य बीमा हेतु पंजीयन पत्र :
 - (vi) फर्म के ब्लेक लिस्टेड न होने संबंधी :
 - नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र.
 - (vii) अनुभव प्रमाण पत्र :
6. फर्म/एजेन्सी का पेन नम्बर :
- (प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें).
7. निविदा प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राप्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक
- दिनांक शाखा का नाम
- राशि (शब्दों में)

हस्ताक्षर
फर्म/एजेन्सी का नाम एवं सील

कार्यालय परिषद मेंहगाँव जिला भिण्ड (म.प्र.)

वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 हेतु दैनिक वेतन (कलेक्टर रेट) पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से निम्नानुसार भेनपावर प्राप्त करने हेतु निविदा प्रपत्र

1. फर्म/एजेन्सी का नाम
2. फर्म/एजेन्सी का पूर्ण पता
3. दूरभाष नम्बर (कार्यालय) निवास
- मोबाइल नम्बर (फैक्स नम्बर)
- ई-मेल
4. फर्म/एजेन्सी द्वारा निविदा में प्रस्तावित दर-:

क्र	पदनाम	दैनिक वेतन के आधार पर मासिक दर रूपये	ई.पी.एफ की राशि रूपये	ई.एस. आई. सी. की राशि रूपये	फर्म का सर्विस चार्ज राशि रूपये	जी.एस.टी. की राशि रूपये	प्रतिमाह कुल राशि सभी कर सहित
1	2	3	4	5	6	7	8
01	दैनिक वेतन कलेक्टर दर पर प्रति वाहन चालक (अर्द्ध कुशल)						
02	दैनिक वेतन कलेक्टर दर पर प्रति चौकीदार (अकुशल)						
03	कम्प्यूटर ऑपरेटर दैनिक वेतन (कुशल)						
04	सफाई श्रमिक दैनिक वेतन कलेक्टर दर (अकुशल)						

हस्ताक्षर
फर्म/एजेन्सी का नाम एवं सील

कार्यालय नगर परिषद् मेंहगाँव जिला भिण्ड (म.प्र.)

Email: - cmomehgaon@mpurban.gov.in

क्रमांक / स्था0 / 2025 /

मेंहगाँव, दिनांक

कार्य का नाम	:—	Inviting tender for reputed company/firm/agencies to supply man power/worker/persons/labor (Skilled, unskilled,) as required time to time in various work/department for..... 2025-26 & 2026-27
कार्य की अनुमानित लागत रूपये	:—	25,00,000/-
अनुबंध की अवधि	:—	02 (वित्तीय वर्ष 2026—27 और 2027—28)
निविदा विज्ञप्ति क्रमांक	:—	क्रमांक / टेण्डर / / 2025 दिनांक

नगर परिषद् मेंहगाँव में समय—समय पर विभिन्न पर्वों पर एवं अन्य कार्यों के लिए वाहन चालक, सफाई श्रमिक (स्वीपर), प्लंबर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षाकर्मी आदि (कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रमिक) की आवश्यकता होती है। उक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु मेन पॉवर उपलब्ध कराये जाने हेतु ठेका प्रदाय किया जाना है।

इस कार्य हेतु प्रतिष्ठित कंपनी/फर्म/एजेंसियों को सूचीबद्ध करने हेतु ऑनलाइन दरें आमंत्रित है:-

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वच्छता कार्य हेतु (सडक सफाई, नाली—नाला सफाई, स्वच्छता वाहन चालक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर) कार्य हेतु आवश्यक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कंपनी / फर्म / एजेंसियों को मैनपावर/श्रमिक/व्यक्ति/श्रमिक की आपूर्ति हेतु निविदा 2026— 27और 2027— 28
01.	कार्य की अनुमानित लागत रूपये	25,00,000/-
02.	अमानत राशि	18750 /—
03.	टेण्डर डाक्यूमेंट की लागत	5000 /—

निविदा क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की तिथियां निम्नानुसार हैं।

Publish Date		Bid Opening Date	
Document Download/Sale Start Date		Document Download /Sale End Date	
Clarification Start Date		Clarification End Date	
Bid Submission Start Date		Bid Submission End Date	
Physical submission			

ई—टेण्डरिंग पोर्टल WWW.MPTENDERS.GOV.IN पर टेण्डर डाक्यूमेंट क्रय करने एवं बीड प्रस्तुत करने की दिनांक देखी जा सकती है। पोर्टल में उल्लेखित दिनांक अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

कार्य का विवरण (स्कोप ऑफ-वर्क)

वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु उक्तानुसार उल्लेखित विभागों में कार्य की आवश्यकता के मान से कार्य के निष्पादन हेतु व्यक्ति (मेन पॉवर) उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रतिष्ठित कंपनी/फर्म/एजेंसियों हेतु ई-टेंडर प्रणाली के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाना है।

.....अंतर्गत विभिन्न सेवाएं जैसे- वाहन चालक, सफाई श्रमिक (स्वीपर), मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमेन, फायर मेन, प्लंबर, सुरक्षाकर्मी अन्य सेवा/जॉब शासकीय नियमानुसार आदि से संबंधित आवश्यक योग्यता रखने वाले मेन पॉवर उपलब्ध कराये हेतु दरें आमंत्रित की जा रही है।

निविदाकार को उपरोक्तानुसार मेन पॉवर के लिये द्वारा निर्धारित चार प्रकार की श्रेणी अनुसार प्रति व्यक्ति के मान से प्रतिमाह से शासन से निर्धारित न्यूनतम मानदेय की दर से भुगतान किया जावेगा तथा निविदादाता को मेन पॉवर के लिए मासिक सेवा शुल्क (सर्विस चॉर्ज) प्रति व्यक्ति के मान से शासन से निर्धारित न्यूनतम मानदेय पर उसके द्वारा प्रस्तुत ऑफर/बिड की प्रतिशत दर से भुगतान किया जावेगा।

निविदादाता को उपरोक्तानुसार निकाय द्वारा प्रत्येक श्रेणी हेतु शासन निर्धारित ईपीएफ. ईएसआईसी आदि एवं श्रम विभाग संबंधी सभी वैधानिक देयताओं का भुगतान प्रति व्यक्ति के मान से किया जावेगा। जीएसटी का भुगतान शासन की प्रचलित दर अनुसार अलग से किया जावेगा।

01.	अकुशल श्रेणी
02.	अर्द्धकुशल श्रेणी
03.	कुशल श्रेणी

सफल निविदाकार को कार्यादेकश जारी करने के पश्चात् निकाय को तत्काल श्रेणी में मेन पॉवर की आवश्यकता होगी :-

क्रमांक	श्रेणी	संख्या
01.	अकुशल श्रेणी	आवश्यकतानुसार
02.	अर्द्धकुशल श्रेणी	आवश्यकतानुसार
03.	कुशल श्रेणी	आवश्यकतानुसार

उपरोक्त श्रेणियों के मेनपॉवर में कार्यादेश पत्र जारी किये जाने के पश्चात तत्काल उक्त अनुमानित व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस संख्या में कमी/बढोतरी की जा सकती है। निविदा में भाग लेने वाली एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास न्यूनतम संख्या में उपरोक्त पत्रक में दर्शाये श्रमिक/व्यक्ति चाहे जाने पर उपलब्ध हो सकें।

सूचीबद्ध करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर प्रस्तुतीकरण -

ऑनलाईन बीड प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक निर्देश :-

कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी अनुसूची- एक में अंकित है। अनुसूची-दो अनुसार ऑनलाईन ऑफर/बिड प्रस्तुत की जावे। किसी अन्य ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा। सभर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा प्रपत्र, प्रक्रिया, विनिर्देशों नियम और शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया जावे, अन्यथा उनकी किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा/ऑफर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा समस्त नियमों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है।

अनुसूची-एक पात्रता योग्यता (Prequalification)

यह उन सभी निविदादाओं जो निर्धारित शर्तों पर पूर्ण रूप से उपरोक्त योग्यता/आवश्यकताओं को पूरा कराने में पूर्ण सक्षम हो, उनके लिये खुला आमंत्रण है।

निविदादाता को निम्नलिखित योग्यताधारी होना आवश्यक है :-

1. संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) मान्य नहीं होगा।
2. निविदाकर्ता का पैन नंबर होना आवश्यक है।
3. फर्म/एजेंसी का जीवित स्थापना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।
4. निविदाकर्ता का भविष्य निधि पंजीयन आवश्यक है, विगत तीन साल की चालान/रिटर्न की प्रति संग्रहण करना होगी।
5. निविदाकर्ता का राज्य कर्मचारी बीमा निगम में पंजीयन आवश्यक है, विगत तीन साल की चालान/रिटर्न की प्रति संग्रहण करना होगी।
6. निविदाकर्ता का जी एस टी पंजीयन आवश्यक है विगत तीन साल की रिटर्न की प्रति संग्रहण करना होगी।
7. आवेदक के पास वैद्य श्रम लाइसेंस होना चाहिए।
8. निविदाकर्ता को वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, और 2024-25 का आयकर रिटर्न की प्रति जो की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा प्रमाणित किया गया हो संग्रहण करना होगी।
9. निविदाकर्ता को इस आशय का एक शपथ पत्र निविदा में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज के सही होने एवं स्वयं के द्वारा सत्यापित एवंप्रमाणित है। निविदाकर्ता फर्म या उसके प्रोप्राइटर/पार्टनर पर पुलिस केस प्रचलित नहीं होने और उनकी निविदादाता फर्म उसके प्रोपराइटर/पार्टनर को कभी किसी भी शासकीय/गैर शासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
10. फर्म या कंपनी का ISO 8000:2014, ISO 30406:2017, ISO 14001:2015, ISO 37500:2018, ISO 27001:2013, 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 30406:2017, ISO 18788:2015 सर्टिफिकेट का संग्रहण करना अनिवार्य है।
11. फर्म या कंपनी के भविष्य निधि में कम से कम 20 से ज्यादा कर्मचारी विगत एक वर्ष में रजिस्टर होना अनिवार्य है।
12. फर्म या कंपनी के राज्य कर्मचारी बीमा निगम में कम से कम 20 से ज्यादा कर्मचारी विगत एक वर्ष में रजिस्टर होना अनिवार्य है।
13. फर्म या कंपनी का लेबर वेलफेयर फण्ड के जमा किये गए चालान की प्रति जिसमें कर्मचारियों की संख्या कम से कम 20 अनिवार्य हो।
14. निविदाकर्ता का मध्यप्रदेश में किसी भी नगरीय निकाय/शासकीय विभाग में मैनेजमेंट देने का अनुभव/कार्य आदेश की छायाप्रति संग्रहण करना अनिवार्य है।
15. निविदाकर्ता फर्म या कंपनी को मैनेजमेंट उपलब्ध कराने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है सम्बंधित प्रपत्र (गुमस्ता/कंपनी रजिस्ट्रेशन) संग्रहण करना अनिवार्य है।
16. निविदाकर्ता फर्म या कंपनी को विगत तीन वर्ष की श्रम विभाग द्वारा की गयी वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संग्रहण अनिवार्य है।

नोट – किये उपरोक्तानुसार केवल चाहे गए दस्तावेज ऑन लाईन स्पष्ट अनुक्रमांक अनुसार दिये गये लिंक में ही अपलोड किये जाये। अनावश्यक दस्तावेज प्रस्तुत ना करें। अनावश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निकाय दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग से करने हेतु स्वतंत्र होगा। पात्रता योग्यता में अपूर्ण एवं अस्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली फर्म/एजेंसी को तकनीकी मुल्यांकन हेतु अपात्र माना जावेगा।

अनुबंध की अवधि :-

अनुबंध की अवधि दो वित्तीय वर्ष तक की रहेगी। चयनित निविदाकार का कार्य संतोषजनक होने आपसी सहमति पर अनुबंध की अवधि केवल पीआईसी/परिषद् स्वीकृति उपरांत ही अधिकतम 01 वर्ष ही बढ़ाई जा सकती है।

अमानत राशि की वापसी –

असफल निविदादाताओं की अमानत राशि अनुबंध संपादन के पश्चात निविदादाता के अनुरोध पर वापसी करने योग्य होगी। सफल निविदादाता की अमानत राशि अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय एफ.डी.आर. प्रस्तुत करने पर वापसी योग्य होगी।

अमानत राशि निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से जब्त की जावेगी –

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित वैधता अवधि के पूर्व निविदादाता द्वारा अपना प्रस्ताव वापस लिया जाता है।
2. निविदादाता अपने प्रस्ताव के स्पष्टीकरण के लिये निकाय के अनुरोध का जवाब प्रस्तुत नहीं करता है।
3. निविदादाता आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में असफल होता है अथवा गैर उत्तरदायी रवैया पाया जाता है।
4. सफल निविदादाता के मामले में वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।
5. निविदादाता यदि कार्यादेश की समयावधि में मेनपॉवर सप्लाय नहीं करता है तो एफ.डी.आर.जब्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

पात्रता योग्यता:-

निविदादाता से निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों/मानदण्डों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। शर्तों/मानदण्डों को पूरा करने के लिए या इन शर्तों/मानदण्डों के समर्थन के लिये अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले निविदादाता को खारिज किया जा सकता है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् मेंहगॉव
जिला भिण्ड म0प्र0

अनुसूची – दो

ऑफर/प्राइस बीड

सभी निविदादाता यह ध्यान रखे की ऑफर में सभी प्रकार के व्यय का पूर्ण समावेश कर लिया गया हो साथ ही स्कोप ऑफ वर्क एवं समस्त शर्तों को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया जावें।

क्रमांक	मेन पावर श्रेणी	संख्या	यूनिट	न्यूनतम मानदेय,ईपीएफ तथा ईएसआई के साथ	सर्विस चॉर्ज सहित कुल देय राशि
01.	अकुशल श्रेणी	1.0	प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह		
02.	अर्द्धकुशल श्रेणी	1.0	प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह		
03.	कुशल श्रेणी	1.0	प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह		

निविदादाता को उपरोक्तानुसार प्रत्येक श्रेणी हेतु शासन से निर्धारित न्यूनतम मानदेय तथा ईपीएफ, ईएसआई सभी वैधानिक देयताओं का भुगतान किया जावेगा।

निविदादाता को मेन पावर के लिये प्रति व्यक्ति के मान से मासिक सेवा शुल्क F11-1/2023 नियम /चार के अनुसार सर्विस चॉर्ज सहित की दर प्रतिशत में अंकित करनी होगी। तथा उपरोक्तानुसार 03 प्रकार की श्रेणी हेतु केवल एकल (सिंगल) प्रतिशत दर प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता को प्रतिशत की दर अंकित करना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति निविदाकार का ऑफर निरस्त किया जावेगा।

**मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् मेंहगॉव
जिला भिण्ड म0प्र0**

कार्यालय नगर परिषद मेंहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

EMAIL:- cmomehgaon@mpurban.gov.in
क्रं/स्था/2026/503

phone-07527-255011
मेंहगांव दिनांक 06/05/2026

प्रथम ई-निविदा आमंत्रण सूचना

नगर परिषद मेंहगांव में स्वच्छता कार्य हेतु (सडक सफाई, नाली-नाला सफाई, स्वच्छता वाहन चालक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर) श्रमिक/लेबर इत्यादि मेनपावर की सेवायें हेतु पंजीकृत एजेन्सी से ई-निविदा क्रं/ 2026_UAD_506003_1 आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पंजीकृत एजेन्सी अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। ई-निविदा में यदि कोई भी संशोधन किया जाता है तो उसे ई-टेण्डरिंग वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर ही प्रकाशित किया जावेगा। इस हेतु पृथक से कोई भी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र की विस्तृत जानकारी सूचना विभाग की वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जावे। अन्य समस्त जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में कार्यालय के स्थापना शाखा में देखी जा सकती है।

श्रीमती कंचन राठौर
अध्यक्ष
नगर परिषद मेंहगांव जिला भिण्ड
पृ.क्र./2026/ई-टेण्डरिंग/
प्रतिलिपि:-

महेश पुरोहित
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद मेंहगांव जिला भिण्ड
मेंहगांव दिनांक /05/2026

1. संपादक महोदय दैनिक की ओर भेजकर लेख है कि कृपया उपरोक्त विज्ञापित का प्रकाशन कम से कम स्पेस में अपने दैनिक समाचार पत्र में अविलंब कराने का कष्ट करें।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद मेंहगांव जिला भिण्ड